


# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/सी-4/प्रो.टे./रसायन विज्ञान/स्थाईकरण /2015/18-19 दिनांक 14.02.19 के द्वारा श्री हरिओम सिंह चौहान (जन्मतिथि 10.10.1990) व्याख्याता रसायन विज्ञान राउमावि भुकरावली करौली के स्थाईकरण आदेश जारी किए गये थे। इनके विरुद्ध जांच विचाराधीन होने के कारण समसंख्यक आदेश दिनांक 18.04.19 के द्वारा इनका नाम विलोपित कर स्थाईकरण आदेश प्रत्याहारित किया गया था।

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/वि.जांच/सी/11420/304 / 16-17 / 2019/65 दिनांक 04.06.19 के द्वारा श्री हरिओम सिंह चौहान की जांच प्रकरण समाप्त (DROP) किए जाने के कारण स्थाईकरण आदेश यथावत किया जाता है।



(नथमल डिडेल)


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था./सी-4/प्रो.टे./रसायन विज्ञान/स्थाईकरण/15/19-20 दिनांक ०४/१९

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) भरतपुर
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (स्कूल शिक्षा) करौली
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुद्रालय) माध्यमिक, करौली
4. संबंधित संस्था प्रधानाचार्य राउमावि भुकरावली करौली
5. संबंधित कार्मिक श्री हरिओम चौहान व्या० रसायन विज्ञान
6. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी अनुभाग कार्यालय हाजा
7. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
8. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर